(b) The details of the grants ex tended by Japan to India since 1980 for increasing food production and .the details of the amount spent are given in the Statement,

Statement

Details of grants extended by Japan to India since 1980-81 for increasing food production

, (Figures in Yen Million)

S. Year No.			Amount of Grant	Purpose of Grant
1 1980-81		1,000	' 1,000	Import of Fertilizer (Urea)
2 1985-86		1,200	1,200	Import of Fertilizer (Urea)
3 1986-87		600	600	Import of Fertilizer (Urea)
4 1987-88		600	600	Import of Fertilizer (DAP)
5 1988-89		600	_	Import of Fertilizer . (DAP)
	TOTAL:	4,000	, 3,400	

वन क्षेत्र की परिधि से बाहर बुकारोपण

1065. श्री मजीत जोगी: श्रीचन्दन शर्माः

क्या पर्यावरण झौर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सर-कार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करते समय यह अतं लगाती है कि वन क्षेत्र की परिधि से बाहर वृक्षारोपण के लिये वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जाए;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; श्रीर
- (ग) क्या मध्य प्रदेश की वन सीमाओं से बाहुर स्थित लगभग 23,500 वर्ग किलोमीटर के बंजर क्षेत्र पर जो कि राजस्व श्रभिलेखों में "बड़े झणवा छोटे

झाड़ के जंगल" के रूप में दर्ज है, वृक्षा-रोपण के लिए वैकल्पिक भूमि के रूप में विचार किया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय
राज्य संत्री (श्रीमती सुमित झोरांव):
(क) और (ख) जी, हां । वन (संरक्षण)
प्रधिनियम, 1980 के तहस प्रस्तावों के
सम्बन्ध में क्षतिपूरक बनरोपण के भागदण्डों के न्यीरे संसम्म विवरण में दिए
गए हैं (नीचे बेखिये)।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार के रिकाड़ों में ''बड़े प्रयवा छोटे झाड़ के जंगल'' के कप में दर्ज मूमि को बन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वनरोपण के लिए गैर-बन भूमि नहीं माना आ सकता है।

विषरम

क्षतिपूरक वनरोपण के लिए निम्न-लिखित मानदण्ड निर्मारित किए गए हैं:---

(1) जहां गैर-वन भूमि उपलब्ध हो, वहां उपयोग में लाई जाने वाली वन 119

भृमि के बराबर गैर-वन भृमि पर क्षति। पूरक वतरोतम किया जाए।

- (2) जहां गैर-वन भूमि उपलब्ध न हो, वहां उनयोग में लीए जा वन क्षेत्र स दुगुने अवक्रमित वन क्षेत्र में क्षतिपुरुष्ठ वनरोतम किया जाए।
- (3) अहां उपयोग में लाए जा रहे वत क्षेत्र को तुलना में गैर-बन भूमि कम उपलब्ब हो, वहां उपलब्ध गैर-वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरीयण के ग्रलावा, उपयोग में लाए जा रहे वन क्षेत्र और उपलब्ध गैर-वन भूमि के बोच भ्रन्तर की दुगुनी द्यवक्रमित वनभूमि पर पौबरोपण किया जाए । बशर्ते कि क्षातिपूरक वनरोपण के लिए गैर-वन भूमि की अनुप∃ब्धता को राज्य/केन्द्र गातित प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाए।
- (4) पहाड़ी भिलों में पस्चि। लित की जाने वाली सूची के सार तथा धन्य िलों में जिनमें भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से भी श्रधिक भाग में वन हैं, उनमें गैर-वन भूमि पर अतिपूरक बनरोपण के लिए जोर नहीं दिया जाएगा और इसकी उपयोग में लाई गई वन भूमि की दुगुनी भवक्रमित भूमि पर दी बाएगी बसर्जे कि उपयोग में लई डाने वाली वर भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो भौर उसकी उप-योग में लाने का उद्देश्य विमनलिखित में से कोई एक हो :--सम्पर्क मार्गी का निर्माण, पानी ने संबंधित छोटे छोटे निर्माण कार्य, लयु सिचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य, स्कुल भवत, ग्रीवधालय, ग्रस्पताल, सरकार के छोटे-मोटे ग्रानीण श्रीचेशिक शेंड श्रववा कोई ग्रन्य तदनुरूप कार्य जिनसे उस क्षत्र के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हो।

निम्नलिखित भामलों में अतिपूरक ्वनरोपण पर जोर नहीं दिया जाएगा :---

(क) विद्युत ट्रीयिमशन लाइनें बिछाने के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के मामरी में बशेर्ते कि उपयोग में जाया जाने वाला वन क्षेत्र 10 हेन्टेयर से कम र्धा ह

(ख) एंसे खनन पट्टों के नवीकरण के मामलें में जी या तो वन (संरक्षण) मधिनियम, 1980 के बनने से पूर्व वन भूमि पर चल रहे थे या जिनका धाँधनियम के बन जाने के बाद केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से नवीकरण किया गया था, विस्तृ जिनमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पूर्व निर्धारित भर्त नहीं थी।

to Questions

(ग) एक हेक्टेथर से कम विस्तार बालें छोटे क्षेत्रों में वन भूमि को उपयोग में लाने के मामले में, जब कि विभाग द्वारा इसके लिए विशेष रूप से न कहा

Madhya Pradcjsh Government's request for Keeping the Land of Revenue Department out of the Purview of the Forest (Conservation) Act, 1980

1066. SHRI AJIT P. K. JOGI-SHRI CHANDAN SHARMA:

Will the Minister of ENVIRON-MENT AND FORESTS be pleased to

- (a) whether any request has been made by the Madhya Pradesh Govemment to keep 23,500 square kilometre area of land which has been shown in the Revenue record as forest comprising of small shrubs and but shes, outside the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980 for the overall development of the State; and
- (b) if so, what is Government's areaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI SUMATI ORAON); (a) and (b) No proposal has been received by the Central Government from the Government of Madhya Pradesh to keep 23,500 square kilometers area of Revenue Department out of the purview of the Forest (Conservation) Act, 1980.